उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ—226010
फैक्स—0522—2720846 वेबसाइटः—**www.uprnn.co.in**

नोटिस सं0—18 / सं.क्र.स. / पंजीकरण / रानिनि / 17 दि0:—06 / 04 / 2017

सूचना

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, में विभिन्न मदों / भवन सामग्रियों की आपूर्ति तथा श्रमिक कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ताओं / फर्मों / पी0आ0डब्लुओं को पंजीकृत / सूचीबद्ध / नवीनीकरण करने हेतु दिनांक 06.05.2017 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप निगम की बेवसाईट www.uprnn.co.in पर उपलब्ध है।

अपर परियोजना प्रबन्धक /
अध्यक्ष, संयुक्त क्रय समिति

कार्यालय
अपर परियोजना प्रबन्धक /
अध्यक्ष, संयुक्त क्रय समिति
उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,
लोहिया अस्पताल इकाई,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
मोबाइल नं0—9415004871

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
वर्ष 2017–18 में विभिन्न भवन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु पंजीकरण/सूचीबद्धता हेतु आवेदन

यहाँ स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ

1– श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है। ....

2– फर्म का नाम एवं पता ....

....

3– फर्म के स्वामी का नाम/स्थायी पता (पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान पत्र में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें) ....

4– वर्तमान पता ....

....

5– TIN (छायाप्रति संलग्न करें) (क्लीरेन्स प्रमाण पत्र सहित) ....

6– आयकर पैन कार्ड नम्बर तथा कर निर्धारण का साक्ष्य (संलग्न करें) ....

7– चरित्र पमाण पत्र (संलग्न करें) ....

8– हैसियत प्रमाण पत्र (संलग्न करें) ....

9– धरोहर धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के नाम जारी किया गया हो एवं payable at Lucknow हो तथा जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष हो (मूलरूप में संलग्न करें) ....

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर

ए० के० सिंह

कार्यों की विभिन्न श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है:–

1– SUPPLY ITEMS (CIVIL WORK)

Sl. No	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Brick, Brick Bats, Brick Ballast	'A'
2	Stone Grit, Coarse Sand & Fine Sand	'B'
3	Hardware/Door Fittings, Miscellaneous Store Material, Glass pan & Mirror.	'C'
4	Wood Work, Ply, Board, Veneer , Mica, Door shutters etc.	'D'
5	Sanitary & Water Supply items ie Chinaware, C.P., C.I., G.I., PVC, CPVC, PPR, HDPE, Tiles (All type) & RCC hume Pipe	'E'
6	Marble, Granite, Kota & Other stone items.	'F'
7	All type of Interior and Exterior paints, primer, wall putty, polish, P.U. etc.	'G'

2- SUPPLY & FIXING ITEMS (CIVIL WORK)

S.No	Particulars of Item (कार्य का नाम)	Category (श्रेणी)
1	Aluminum Door & Windows, UPVC Door & windows, Structural Glazing work & False ceiling work	'H'
2	Water proofing work	'I'
3	Anti termite treatment work	'J'
4	All type of Fabrication work, Poly carbonate sheeting	'K'
5	Painting & Polishing work	'L'
6	RMC work	'M'
7	All type of Stone work including Granite, Marble & Sand stone etc.	'N'

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, में वर्ष 2017–18 में विभिन्न भवन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के पंजीकरण/सूचीबद्ध किये जाने के नियम व शर्तें:–

1. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग पंजीकरण कराना होगा।
2. सभी आपूर्तिकर्ता जो सूचीबद्धता हेतु उत्सुक हैं, व्यापार कर और आयकर में पंजीकृत होने चाहिए एवं उन्हें व्यापार कर में पंजीकृत तथा आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य **(इनकम टैक्स रिटर्न)** प्रस्तुत करने के साथ–साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा जिस श्रेणी में पंजीकृत/सूचीबद्ध किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, उस कार्य को करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कम से कम निर्माण निगम की दो इकाईयाँ अथवा निर्माण निगम से बाहर दो विभागों द्वारा निर्गत हो संलग्न करना होगा।
4. बाट–आऊट सामग्रियों की दशा में उत्पादकों का अधिकृत वितरक होना आवश्यक है, इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म को रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि **"उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा"**।
6. सूचीबद्धता के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म को जिलाधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उत्पादनकर्ता कम्पनी द्वारा सूचीबद्धता हेतु आवेदन किये जाने की दशा में चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
7. ग्रुप A, B, C, J प्रत्येक श्रेणी हेतु रू0 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) ग्रुप D, G I, K, L,M, प्रत्येक श्रेणी के लिए रू0 2,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) एवं ग्रुप E, F, H, N प्रत्येक श्रेणी के लिए रू0 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) का Bank Draft/F.D.R. जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के नाम जारी किया गया हो एवं payable at Lucknow हो तथा जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष हो धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
8. ग्रुप A, B, C, J प्रत्येक श्रेणी हेतु रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र), ग्रुप D, G I, K, L,M, (प्रत्येक श्रेणी) हेतु रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) एवं E, F, H, N प्रत्येक श्रेणी हेतु रू0 30,00,000.00 (रूपये तीस लाख मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. आवेदन प्रपत्र सभी संलग्नकों के साथ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के किसी इकाई प्रभारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित होना आवश्यक होगा।
10. पंजीकरण 1 वर्ष के लिए वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 1 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
11. पूर्व पंजीकृत/सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता को उपरोक्तानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए अपना नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक कराना होगा।
12. आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. किसी की विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में वर्ष 2017–18 में लेबर कॉन्ट्रेक्टर (P.R.W.) पंजीकरण हेतु आवेदन

CATEGORY:..........

- 'A' RCC & Civil Work
- 'B' Shuttering Work
- 'C' Reinforcement Work
- 'D' Plumbing & Sanitary Work
- 'E' Stone & Tile work
- 'F' Water proofing Work
- 'G' Painting & Polishing Work

यहाँ स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ

1. फर्म का नाम एवं पता ....
....
2. फर्म के स्वामी का नाम / स्थायी पता (पासपोर्ट / ड्राईविंग लाईसेन्स / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान पत्र में से किसी एक की प्रति इत्यादि) ....
....
....
3. वर्तमान पता:– ....
....
....
4. आयकर पैन कार्ड नम्बर एवं क्लीरेन्स प्रमाण पत्र सहित ....
5. चरित्र पमाण पत्र ....(संलग्न करें)........................
6. श्रम विभाग में फर्म का पंजीयन ....
7. श्रम विभाग के सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में श्रमिकों की सुविधा हेतु पंजीयन ....
8. रू0 20000.00 की धरोहर धनराशि का बैक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के नाम जारी किया गया हो एवं payable at Lucknow हो तथा जिसकी वैधता कम से कम 01 वर्ष हो (मूलरूप में संलग्न करें) ....

दिनांक:–

आवेदक के हस्ताक्षर

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, में वर्ष 2017–18 में लेबर कान्ट्रेक्टर (पी0आर0डब्लू0) पंजीकरण किये जाने के नियम व शर्तें:–

1. **सामग्री/मद का विभाजन निम्न श्रेणी में किया गया है:–**

'ए' :– आर0सी0सी0 एवं सिविल कार्य।
'बी' :– शटरिंग से सम्बन्धित कार्य।
'सी' :– रेनफोर्समेन्ट कार्य।
'डी' :– प्लम्बिंग एवं सेनेट्ररी कार्य।
'ई' :– स्टोन एव टाइल लगाने का कार्य ।
'एफ':– वाटर प्रुफिंग कार्य।
'जी' :– पेन्टिंग एवं पॉलिशिंग कार्य।

2. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग पंजीकरण कराना होगा।
3. सभी कान्ट्रेक्टर जो पी0आर0डब्लू0 हेतु उत्सुक हैं, व्यापार कर और आयकर में पंजीकृत होने चाहिए एवं उन्हें व्यापार कर में पंजीकृत तथा आयकर भुगतान एवं कर निर्धारण के साक्ष्य **(इनकम टैक्स रिटर्न)** प्रस्तुत करने के साथ–साथ पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. कान्ट्रेक्टर जिस श्रेणी में पंजीकृत किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, उस कार्य को करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कम से कम निर्माण निगम की दो इकाईयाँ अथवा निर्माण निगम से बाहर दो विभागों द्वारा निर्गत हो संलग्न करना होगा।
5. कॉन्ट्रेक्टर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होन चाहिए साथ ही लेबर सेस का भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
6. फर्म को रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टीफाइड शपथ पत्र देना होगा कि **"उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा"**।
7. सूचीबद्धता के लिए कॉन्ट्रेक्टर को जिलाधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा बैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. (प्रत्येक श्रेणी) हेतु धरोहर धनराशि रू0 20000.00 (रूपये बीस हजार मात्र), का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 के रूप में जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया गया हो "उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पक्ष में जमा करना होगा।
9. आवेदन प्रपत्र सभी संलग्नकों के साथ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के किसी इकाई प्रभारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित होना आवश्यक होगा।
10. पंजीकरण 1 वर्ष के वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 1 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
11. पूर्व पंजीकृत/सूचीबद्ध कॉन्ट्रेक्टर को उपरोक्तानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए अपना नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक कराना होगा।
12. कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. किसी की विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।